सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 07/2019

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां जिला बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री भीम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बस्ती सिंह राजपुरोहित उम्र 50 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी खजुरपुरा तिराहा बारां जिला बारां **(मौके पर मौजुद मालिक व विक्रेता)** मैसर्स मारवाड जोधपुर मिष्ठान भण्डार, चार मूर्ति चौराहा बारां जिला बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री भीम सिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी स्वंय)

निर्णय दिनांक 24.06.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.08.2018 को मैसर्स मारवाड जोधपुर मिष्ठान भण्डार, चार मूर्ति चौराहा बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री भीम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बस्ती सिंह राजपुरोहित **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 25.08.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दुध व चीनी से निर्मित)** विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैनें अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** में मिलावटी का शक होने पर नमूना जांच वास्ते लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ दूध **बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** 02 कि0ग्रा0 एक साफ सुखे तपीले में एक समरूप कर तुलाकर के वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री भीम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बस्ती सिंह राजपुरोहित को 760/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री शैतान सिंह व श्री शंकर गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु दूध **बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** 02 कि0लो0 को 04 खाली साफ एवं सूखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया गया। तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–842 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–842 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री भीम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बस्ती सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/176 दिनांक 24.09.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 526/FSSA/Kota/Act/2018/558 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **दुध बर्फी (दुध व चीनी से निर्मित) असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/266 दिनांक 19.12.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट से निर्माता संतुष्ट नही होने के कारण निर्माता ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की थी जिस पर नमूने के द्वितीय भाग पत्रांक एफएसएस/2018/188 दिनांक 16.10.2018 द्वारा रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे में भिजवाया गया था एवं जिसकी जांच रिर्पोट निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे का क्रमांक RFL/DO/341/18/985/2018 दिनांक 20.11.2018 द्वारा संलग्न कर दी गई के अनुसार निर्माता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स मारवाड जोधपुर मिष्ठान भण्डार चार मूर्ति चौराहा बारां जिला बारां से पत्रांक 212 दिनांक 19.11.2018 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल फर्म मालिक एवं पहचान दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स मारवाड जोधपुर मिष्ठान भण्डार बारां द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत नही कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि.ग्रा.** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि.ग्रा.** वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी की दुकान से क्रय की गयी थी। उक्त **दूध बर्फी** अप्रार्थी द्वारा गाय एवं भैस का दूध क्रय कर, निर्मित की गयी है। जिसमे किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है, जो छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी की दुकान भी ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि.लो.** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 10,000/–रूपये का जुर्माना (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) राशि के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)